

सं. 402/92/2006-एमसी (2008 का 41)
भारत सरकार/वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 18th सितंबर 2008

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बिहार में बाढ़ के कारण उत्पन्न व्यवधान को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत आयकर विवरणी दाखिल करने तथा कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जो 30 सितम्बर, 2008 तक थी, को बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2008 कर दिया है।

XXXX